

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

रोवा में,

राचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2, सगुदाय केन्द्र,  
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक / पी04 / एन0ओ0सी0 /

/ 2016-17 दिनांक:- २१.१.१६

विषय:- मदर सुहाग एजूकेशन सेन्टर सुल्तान नगर, फतेहपुर को रु0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश शिक्षा (7) अनुभाग-लखनऊ संख्या- 1916 / 15-7-09-1(209) / 2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा रु0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति के आधार पर मदर सुहाग एजूकेशन सेन्टर सुल्तान नगर, फतेहपुर को रु0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संरथा द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाजागिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रवतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संरथा के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशाराकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संरथा उनका पालन करेगी।
- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र एवं पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- रु0वी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
- संरथा द्वारा सोसाइटी के वाईलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुगोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।
- रु0वी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।



13. छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमत्य है।
14. शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जायेंगे।
15. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार वाहुल्य नहीं रखा जायेगा।
16. विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि तथा पनधट, गोचर, तालाब, खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के पूर्व संस्था में अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखें जायें तथा संस्था के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से कम वेतन दिया जा रहा हो उसे पूर्ण किया जाये।

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

#### भवदीय

(महेन्द्र कुमार सिंह)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन सं./पी04/एन0ओ0सी0/ १६३२-७१ /2016-17 तदिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
3. शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर।
6. प्रबन्धक, मदर सुहाग एजूकेशन सेन्टर सुलतान नगर, फतेहपुर।
7. गार्ड फाईल।

PRINCIPAL

Mother Suhag Education Centre  
Sultan Nagar, Fatehpur

MANAGER

Mother Suhag Education Centre  
Sultan Nagar, Fatehpur

(महेन्द्र कुमार सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद